Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

REVIEW PETITION AGAINST TARIFF ORDER FOR FY 2025-26
NOTICE FOR INVITING OBIECTIONS AND SUGGESTIONS

In pursuance to Order 47 Rule-1 of Civil Procedure Code read with Section 94(1)(f) of Electricity Act, 2003, and Regulation 33 of CSERC (details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulation, 2004, review petition has been filed by CSPDCL against the tariff order dtd. 11.07.2025, issued by CSERC for FY 2025-26. The petition has been registered as Petition No. 90/2025. Issues covered in the review petition are summarised as in under:

Issue No. 1: Deduction of Transmission Charges of Rs. 32.53 Cr;
Issue No. 2: Deduction of Power Purchase Cost for Border Villages of Rs 0.21 Cr;
Issue No. 3: Interest on Working Capital of Rs. 81.96 cr. Has not allowed as per prevailing MYT Regulations for the FY 2023-24;
Issue No. 4: Non-Consideration of the amount Rs. 160.35 cr. for FY 2025-26 pertaining to the order passed by the Hon'ble APTEL in Appeal No. 286 of 2017;
Issue No. 5: Erroneous computation of Carrying/Holding Cost on Revenue Gap;
Issue No. 6: Incorrect Determination of Interest on Working Capital for FY 25-26;
Issue No. 7: Financing cost for AMISP Charges;
Issue No. 8: Reduction in Transmission Charges for Solar Prosumers;
Issue No. 9: Tariff categorization made for Stand Alone Crushers;
Issue No. 10: Increase rebate to Steel Industries in Bastar avem Dakshin Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran Areas;
Issue No.11: Power off Hours allowed to all HV4 category consumers, irrespective of voltage level;
Issue No. 12: Mandating 100% supply from CSPDCL in HV-4, as applicable to HV-3 category consumers;
Issue No. 13: Clarification on certain provisions of HV-7 Start Power tariff;
Issue No. 14: Exorbitantly high Rebate to consumers making advance payment;
Issue No. 15: Determination of Fixed Charge on Load Factor basis;

The petition is also available at Commission's website www.cserc.gov.in and CSPDCL's website www.cspdcl.co.in. Interested persons can also purchase copy of the petition on any working day on payment of Rs. 100/-, from the office of the Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur, Pin-492001 or the office of Executive Director (RA&PM), CSPDCL, 4th Floor, Vidhyut Sewa Bhavan, Dagania, Raipur, Pin 492013. The copy of petition can also be obtained by the post from aforesaid offices on additional payment of Rs. 50/-.

Persons/institutions interested to file objections/suggestions relating to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin-492001, email-cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (RA&PM), CSPDCL, 4th Floor, Vidhyut Sewa Bhavan, Dagania, Raipur, Pin 492013, email-cecomcseb@rediffmail.com. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Executive Director (RA&PM)

CSPDCL, Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

वित्तीय वर्ष 2025–26 के टैरिफ आदेश के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की सूचना

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम–1 के तहत, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(एफ) और सीएसईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और आवेदन करने का तरीका) विनियम, 2004 के विनियम 33 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जारी टैरिफ आदेश दिनांक 11.07.2025 के विरुद्ध सीएसपीडीसीएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसे याचिका संख्या 90/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है। पुनर्विचार याचिका में सम्मिलित विषयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है;

मुद्दा संख्या 1 –	पारेषण शुल्क में 32.53 करोड़ रूपये की कटौती,
मुद्दा संख्या 2 –	सीमावर्ती गांवों के लिए बिजली खरीदी व्यय में 0.21 करोड रूपये की कटौती,
मुद्दा संख्या 3 –	विद्यमान बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के अनुसार कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की गई,
मुद्दा संख्या 4 –	अपील संख्या 286/2017 में माननीय एपटेल (APTEL) द्वारा पारित आदेश से संबंधित राशि पर विचार न करना,
मुद्दा संख्या 5 –	राजस्व अंतर पर कैरिंग कॉस्ट (Carrying Cost) की त्रुटिपूर्ण गणना,
मुद्दा संख्या 6 –	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज का त्रुटिपूर्ण निर्धारण,
मुद्दा संख्या 7 –	एएमआईएसपी (AMISP) व्यय के लिए वित्त पोषण लागत,
मुद्दा संख्या 8 –	सौर प्रोसुमरों (Solar Prosumers) के लिए पारेषण शुल्क में कमी,
मुद्दा संख्या 9 –	स्टैंड अलोन क्रशरों के लिए टैरिफ का वर्गीकरण,
मुद्दा संख्या 10 –	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्टील उद्योगों को दी जाने वाली छूट में वृद्धि,
मुद्दा संख्या 11 –	लोड फैक्टर रिबेट की गणना के लिए वोल्टेज स्तर के निरपेक्ष सभी एचवी–4ः स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही 30 घंटे की 'पॉवर ऑफ आवर्स' को समाप्त किये जाने हेतु,
मुद्दा संख्या 12–	कम लोड फैक्टर वाले एचवी–4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति, एचवी–3 श्रेणी के समान ही, सीएसपीडीसीएल से अनिवार्य करने हेतु,
मुद्दा संख्या 13 –	स्टार्ट पॉवर टैरिफ के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण,
मुद्दा संख्या 14 –	अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अत्यधिक छूट संबंधी,
मुद्दा संख्या 15 –	लोड फैक्टर के आधार पर स्थाई प्रभार शुल्क का निर्धारण,

याचिका आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in और सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस पर 100/– रुपये का भुगतान करके सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (पिन– 492001) के कार्यालय या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), सीएसपीडीसीएल, चौथी मंजिल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर (पिन–492013) के कार्यालय से याचिका की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। याचिका की प्रति उपरोक्त कार्यालयों से 50/– रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

इस याचिका से संबंधित आपत्तियाँ/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति/संस्थान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन–492001, ईमेल–cserc.sec.cg@nic.in और/या कार्यकारी निदेशक (आरए एवं पीएम), सीएसपीडीसीएल, चौथी मंजिल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, पिन–492013, ईमेल–cecomcseb@rediffmail.com को भेज सकते हैं। आयोग उपरोक्त याचिका पर जन सुनवाई भी आयोजित करेगा, जिसके स्थान, तिथि और समय की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से पृथक से दी जाएगी।

कार्यपालक निदेशक (नि.का.एवं ऊ.प्र.)
सीएसपीडीसीएल, रायपुर